

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

बाबूलाल बनाम बीरबल वगै०

107CMS-2025/37

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

मुकदमा नम्बर :- 18/2025

विशेष विवरण

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	23.01.2025	<p>प्रार्थी की ओर से प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज०काश्त० अधिनियम- 1955 के तहत पेश हुआ। प्रार्थी की ओर से हाजिर अधिवक्ता ने अंतरिम बहस हेतु निवेदन किया। हाजिर अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर अंतरिम बहस (प्रार्थना पत्र) के आदेश दिये गये। इस पर हाजिर अधिवक्ता द्वारा अंतरिम बहस की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई अंतरिम बहस को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपनी अंतरिम बहस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन करते हुए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करानी चाही है।</p> <p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा राज०काश्त० अधिनियम- 1955 का अवलोकन किया गया, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रार्थी का शपथ पत्र का अवलोकन किया, चिंतन व मनन किया गया। वकील प्रार्थी के निवेदन को एक तरफा अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में होने एवं अपूर्तनीय क्षति कारित होने की संभावना को देखते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पक्ष प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमी खसरा नम्बर 1419/137,159,160,2518/158 कुल किता 4 का कुल रकबा 9.53 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नांगलकला, पटवार हल्का नांगलकला तहसील चौमूं जिला जयपुर के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं प्रार्थी के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान कारित नहीं करे। उक्त अन्तरिम टी०आई० आदेश सीमाज्ञान/पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने सम्बन्धी विधिक प्रक्रिया की पालना में लागू नहीं होगी।</p> <p>चूंकी एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थी को अनिवार्यतः बहस करनी होगी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावेगा।</p> <p>प्रार्थी वकील को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व रजि० एडी० के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश कि तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। पालना नहीं करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः प्रभावहीन हो जावेगा। उक्त आदेश से यदि आप्रार्थीगण को कोई ऐतराज हो तो दिनांक 21.02.2025 को 10.00 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस मय आदेश जारी कर पत्रवाली वास्ते देखने तामील दिनांक 21.02.2025 को पेश हो।</p>

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

वकिलों का नाम / कार्य
 स्थिति से पत्रावली गत
 21/2/28
 19/3/25
 को पत्रावली

Presented by

19/3/25 पत्रावली के अंतर्गत वकील-प्राथी-उप/ अप्राथीगत के विरुद्ध मूल वाद में एकपक्षीय कार्यवाही अगल में जारी जा चुकी है अतः इस प्रकार के अनेक विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अगल में जारी जाती है पत्रावली वारंट बहन-ट.इ. हेतु दिनांक 24/4/25 के पत्रावली है।

24/4/25 व.प्राथी-उप/ बहन-ट.इ. सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहन पर मजबूत प्रमाण प्राप्त। प्राथी के पक्ष के अनेक अप्रसंगिक शक्ति-व सुविधा का समतुल्य बरकुरी साबित होता है अतः न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 23/01/2025 के ताल-फैंगला मूल वाद अन्तर्गत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः पूर्व आदेश दिनांक 23/01/25 के ताल-फैंगला मूल वाद अन्तर्गत किया जाता है पत्रावली के अंतर्गत अनेक-बहन मूल वाद के संलग्न है। कथित तर्क गलत है।

सहायक कलान्तर
 चौमू (जयपुर)